सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः राजवीर सिंह चौधरी, अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 17/2015, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,दौसा जिला दौसा।

<u>बनाम</u>

2. श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री घासीराम जाति खटीक निवासी खटीकन मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली दौसा जिला दौसा।

<u>कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975</u>

उपस्थिति : लोक अभियोजक – पैरोकार सरकार उपस्थित।
: श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री घासीराम – गैरसायल उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः– 0[illegible].08.2018

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली दौसा जिला दौसा की ओर से मार्फत पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा कि गैर सायल श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री घासीराम जाति खटीक निवासी खटीकन मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली दौसा जिला दौसा का रहने वाला है अपराध करने में सक्रिय है जिसके विरूध थाना कोतवाली मे दर्ज अभियोग है। उक्त अपराधी आबकारी अधिनियम सम्बन्धी अपराध करने का आदि है। वर्ष 2005 से 2014 तक की अवधि में निम्नलिखित प्रकरणों में गैर सायल न्यायालय के द्वारा दो प्रकरणों में सजायाब हुआ है एवं दो प्रकरण न्यायालय में लम्बित चल रहे है। जिसका उल्लेख निम्न प्रकार है।

1. मु.न. 676/2005 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली दौसा जिला दौसा
2. मु.न. 750/2005 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली दौसा जिला दौसा
3. मु.न. 157/2012 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली दौसा जिला दौसा
4. मु.न. 195/2014 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली दौसा जिला दौसा

उपरोक्त प्रकरणों का विवरण देते हुए गैरसायल को धारा 3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत दौसा जिला की सीमा से बाहर निष्कासित करने की प्रार्थना की है। इस्तगासा दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। गैर सायल उपस्थित हुआ। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल के विरूद्ध दर्ज अभियोगों के संबंध में थानाधिकारी थाना कोतवाली दौसा की रिपोर्ट में बताया कि गैरसायल के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पेश इस्तगासा में गैर सायल द्वारा चार बार अपराध कारित किया गया है। गैरसायल थाना क्षेत्र थाना कोतवाली दौसा में शराब बेचने का आदि है जिससे आमजन गलत व्यसन मे लिप्त होते है एवं शराब के नशे मे कई तरह के अपराध कारित करते है। गैर सायल की गतिविधियों से समाज में नई पीढी पर गलत असर पड़ रहा है तथा आम जनता की सम्पत्ति व सुरक्षा को खतरा है। इस कारण क्षेत्र में अशान्ति होने का भी खतरा है। श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री घासीराम जाति खटीक निवासी खटीकन मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली दौसा जिला दौसा के इलाके में रहने से आमजन के गलत व्यसन में लिप्त होने एवं शान्ति भंग होने का अंदेशा है। इसके विपक्ष कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देने में कतराता है समाज में इनका भय बना हुआ है तथा क्षेत्र में सद्भावना का वातावरण व शान्ति बनाये रखना आवश्यक है। गैर सायल की अपराधिक गतिविधियों के कारण धारा 2(ख)(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। अतः धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत दौसा जिला की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है।

गैर सायल ने जवाब बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी दौसा में शराब की दुकान पर सेल्समैन का काम करता है एवं मेहनत मजदूरी करके अपना जीवनयापन कर रहा है तथा उपरोक्त गतिविधियों में शामिल नहीं है। प्रार्थी के खिलाफ संगीन किस्म का आरोप नहीं है। प्रार्थी के खिलाफ धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के चार केस दर्ज होना बताया गया है जिनमे से दो प्रकरणों का निर्णय भी हो चुका है एवं दो प्रकरण न्यायालय में लम्बित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया लोक अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया । ऐसी स्थिति में गैर सायल के विरूद्ध इस्तगासें में लगाए गए आरोपों को साबित माना जाने के अलावा कोई विकल्प इस न्यायालय के समक्ष शेष नहीं रहता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इलाका हाजा में कानून व्यवस्था व सद्भावना एवं शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसे समाज कंटकों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे समाज कंटक अपनी कार गुजारियों के द्वारा इलाका हाजा के माहौल को खराब नहीं कर सके। गैर सायल के खिलाफ चार प्रकरण दर्ज हुए है जिनमें गैर सायल श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री घासीराम जाति खटीक निवासी खटीकन मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली दौसा जिला दौसा उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा एक्ट की श्रेणी में आता है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 17/2015, गुण्डा एक्ट

उपरोक्त विवेचन के आधार पर गैर सायल श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री घासीराम जाति खटीक निवासी खटीकन मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली दौसा जिला दौसा को दिनांक 09.08.2018 से 30 दिन की समयावधि के लिए थाना कोतवाली दौसा जिला दौसा की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि थाना क्षेत्र महवा में निवास करते हुए अपनी उपस्थिति थानाधिकारी महवा जिला दौसा को दर्ज करवाएगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं थाना अधिकारी महवा जिला दौसा आदेश की पालना सुनिश्चित करावें। संबंधित को तहरीर जारी हो ।

यह निर्णय आज दिनांक 08.08.2018 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा